हितधारक समझौता

यह हितधारक समझौता (**"समझौता"**) दिनांक 30 नवंबर, 2016 को निष्पादित हुआ।

के बीच

1. **गोवा के राज्यपाल**, जिनका प्रतिनिधित्व नागर विमानन निदेशालय, गोवा सरकार द्वारा किया जा रहा है और जिनका मुख्य कार्यालय सचिवालय, पोरवोरिम, गोवा - 403521 में स्थित है (जिन्हें आगे **"प्राधिकरण"** कहा गया है, जिसमें संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न होने पर इसके प्रशासक, उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल माने जाएंगे), प्रथम पक्ष;

2. इसके अनुसूची I (Annex I) में सूचीबद्ध पक्षकार (जिन्हें आगे व्यक्तिगत रूप से **"निजी प्रतिभागी"** और सामूहिक रूप से **"निजी प्रतिभागीगण"** कहा गया है, जिसमें विषय या संदर्भ के विपरीत न होने पर उनके संबंधित कानूनी प्रतिनिधि और उत्तराधिकारी शामिल माने जाएंगे), द्वितीय पक्ष; और

3. **जीएमआर गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड**, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी है और जिसका पंजीकृत कार्यालय सर्वे नंबर 381/3, मथुरा वन, पहली मंजिल, एनएच 17, पोरवोरिम, गोवा - 403501 में स्थित है (जिन्हें आगे **"रियायतग्राही"** कहा गया है, जिसमें संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न होने पर इसके उत्तराधिकारी, अनुमति प्राप्त समनुदेशिती और प्रतिस्थानी शामिल माने जाएंगे), तृतीय पक्ष।

निजी प्रतिभागियों, प्राधिकरण और रियायतग्राही को आगे संयुक्त रूप से **"पक्ष"** या **"पक्षकार"** और व्यक्तिगत रूप से **"पक्ष"** कहा गया है। निजी प्रतिभागियों और प्राधिकरण को सामूहिक रूप से **"शेयरधारक"** कहा गया है।

जबकि:

(क) प्राधिकरण ने सैद्धांतिक मंजूरी में निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन, गोवा राज्य के मोपा में सार्वजनिक उपयोग के लिए एक हवाईअड्डे (**"हवाईअड्डा"** या **"परियोजना"**) की स्थापना के लिए भारत सरकार से सैद्धांतिक मंजूरी (**"सैद्धांतिक मंजूरी"**) प्राप्त की थी, और प्राधिकरण ने निजी भागीदारी के माध्यम से डिजाइन, निर्माण, फाइनेंस, संचालन और अंतरण (डीबीएफओटी) आधार पर हवाईअड्डे का विकास करने का निर्णय लिया था।

(ख) प्राधिकरण ने डीबीएफओटी आधार पर हवाईअड्डे के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए बोलीदाताओं को शॉर्टलिस्ट करने के लिए अपनी योग्यता के लिए अनुरोध (RFQ) संख्या 32/DOCA/RFQ/MOPA/2014 दिनांक 03 अक्टू 2014 के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित किए थे। तत्पश्चात प्राधिकरण ने तकनीकी और वाणिज्यिक नियमों और शर्तों को निर्धारित किया, और शॉर्टलिस्ट किए गए बोलीदाताओं से प्रस्तावों के लिए अनुरोध (RFP) के माध्यम से बोलियां आमंत्रित की थीं, ताकि उस सफल बोलीदाता का चयन किया जा सके जिसके पास परियोजना को शुरू करने के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) के रूप में कार्य करने वाली कंपनी बनाने का अधिकार होगा।

(ग) निजी प्रतिभागियों में चयनित बोलीदाता के सदस्य शामिल हैं, जिन्होंने बोली लगाई थी, और जिन्हें प्राधिकरण द्वारा शॉर्टलिस्ट किया गया और अंततः चुना गया। इसके अनुसरण में प्राधिकरण ने परियोजना को शुरू करने के लिए रियायत समझौते का निष्पादन करने वाले विशेष प्रयोजन वाहन (रियायतग्राही) को गठित करने के लिए पत्र संख्या 1/2/OSD/MOPA/2013(संचालनर समिति)/304 दिनांक 17 सितंबर, 2016 जारी किया था।

(घ) चयनित बोलीदाता ने कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक सीमित दायित्व कंपनी के रूप में रियायतग्राही को प्रमोट और निगमित किया है, और प्राधिकरण से रियायतग्राही को उस इकाई के रूप में स्वीकार करने का अनुरोध किया है जो रियायत समझौते के तहत रियायतग्राही के दायित्वों का पालन करेगी और अधिकारों का प्रयोग करेगी, और प्राधिकरण इस अनुरोध पर सहमत हो गया है।

(ङ) प्रस्ताव के अनुरोध (RFP) के हिस्से के रूप में यह परिकल्पना की गई थी कि प्राधिकरण इस शेयरधारक समझौते में निर्धारित नियमों और शर्तों पर एक गैर-हस्तांतरणीय "गोल्डन शेयर" (जैसा कि नीचे परिभाषित है) रखेगा।

(च) इसलिए, प्राधिकरण और निजी प्रतिभागी इस समझौते में रियायतग्राही के शेयरधारकों के रूप में अपनी आपसी क्षमता में संबंधों को नियंत्रित करने वाले नियमों और शर्तों को निर्धारित करने और रियायतग्राही के प्रबंधन और कामकाज तथा उससे जुड़े अन्य मामलों के संबंध में अपने संबंधित अधिकारों और दायित्वों को दर्ज करने के इच्छुक हैं।

अब इसलिए, पूर्वगामी और इस समझौते में निर्धारित संबंधित वचनों और समझौतों के एवज में, जिनकी प्राप्ति और पर्याप्तता को इसके द्वारा स्वीकार किया जाता है, और कानूनी रूप से बाध्य होने के इरादे से, पक्षकार निम्नानुसार सहमत होते हैं:

खंड 1: परिभाषाएं और व्याख्या

1.1 परिभाषाएं

इस समझौते में (किसी भी प्रस्तावना, अनुलग्नक, अनुसूची या संलग्न प्रदर्श सहित), जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित शब्दों और अभिव्यक्तियों के निम्नलिखित अर्थ होंगे:

- "**प्रभावित पक्ष**" का वही अर्थ होगा जो इसके तहत खंड 11.3 में दिया गया है;
- "**वैकल्पिक निदेशक**" का वही अर्थ होगा जो इसके तहत खंड 5.7.1 में दिया गया है;
- "**निदेशक मंडल**" या "**बोर्ड**" से तात्पर्य रियायतग्राही के निदेशक मंडल से है;
- "**अध्यक्ष**" से तात्पर्य कंपनी के बोर्ड के अध्यक्ष से है;
- "**चार्टर दस्तावेज**" से तात्पर्य कानून द्वारा अनुमत सीमा तक इस समझौते के नियमों और शर्तों के अनुरूप रियायतग्राही के ज्ञापन (Memorandum of Association) और अंतरनियम (Articles of Association) से है;

- "**कंपनी अधिनियम**" का अर्थ कंपनी अधिनियम, 1956 के निरस्त प्रावधानों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 है और अन्यथा कंपनी अधिनियम, 1956 जिसमें कोई पुन: अधिनियमन 'संशोधन शामिल है;
- "**रियायत समझौता**" से तात्पर्य परियोजना के संबंध में प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किए गए रियायत समझौते से होगा;
- "**परिणामी क्षति (Consequential Loss)**" का वही अर्थ होगा जो इसके तहत खंड 11.14 में दिया गया है;
- "**चूक करने वाला पक्ष**" का वही अर्थ होगा जो इसके तहत खंड 8.2.1 में दिया गया है;
- "**निदेशक**" से तात्पर्य रियायतग्राही के निदेशक मंडल के निदेशक से है;
- "**इक्विटी शेयर**" से तात्पर्य रियायतग्राही के रु. 10/- प्रत्येक के अंकित मूल्य वाले पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर से है;
- "**गोल्डन शेयर**" से तात्पर्य प्राधिकरण को जारी किए गए/जारी किए जाने वाले रियायतग्राही के रु. 10/- के अंकित मूल्य वाले पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर से है;
- "**प्रबंध निदेशक**" से तात्पर्य रियायतग्राही के पूर्णकालिक प्रबंध निदेशक से है;
- "**निजी प्रतिभागी**" का वही अर्थ होगा जो इस समझौते की प्रस्तावना में दिया गया है;
- "**निजी प्रतिभागी समझौता**" का वही अर्थ होगा जो इसके तहत खंड 4.2.4 में दिया गया है;
- "**परियोजना**" का वही अर्थ होगा जो प्रस्तावना (क) में दिया गया है;
- "**स्वामित्व वाली जानकारी (Proprietary Information)**" का वही अर्थ होगा जो खंड 9.1 के तहत दिया गया है;
- "**आरक्षित मामले**" से तात्पर्य अनुसूची II (Annex II) के तहत सूचीबद्ध मामलों से है;
- "**शेयरधारक**" या "**शेयरधारकों**" का वही अर्थ होगा जो इस समझौते की प्रस्तावना में दिया गया है;
- "**शेयरधारक समझौता**" या "**समझौता**" से तात्पर्य इस शेयरधारक समझौते से है;
- "**तीसरा पक्ष**" से तात्पर्य किसी भी ऐसी संस्था से है जो इस समझौते का पक्षकार नहीं है;
- "**हस्तांतरण**" में शामिल होंगे (i) लागू कानूनों के संचालन द्वारा, अदालती आदेश द्वारा, न्यायिक प्रक्रिया द्वारा, या फौजदारी, जब्ती या कुर्की द्वारा बिना किसी सीमा के ऐसी प्रतिभूतियों या मतदान हितों या उसमें किसी भी हित का कोई हस्तांतरण या अन्य निपटान; (ii) किसी समझौते, व्यवस्था, दस्तावेज या समझ के अनुसरण में ऐसी प्रतिभूतियों या उसमें किसी भी हित की कोई बिक्री, समनुदेशन, उपहार, दान, मोचन, रूपांतरण या अन्य निपटान, जिसके द्वारा ऐसी प्रतिभूतियों या उसमें किसी भी हित का कानूनी शीर्षक या लाभकारी स्वामित्व एक इकाई से दूसरी इकाई में या उसी इकाई में एक अलग कानूनी क्षमता में स्थानांतरित होता है, चाहे वह मूल्य के लिए हो या नहीं; (iii) ऐसी प्रतिभूतियों या उसमें किसी भी हित या किसी भी प्रकार के विशेषाधिकार या प्राथमिकता में प्रभार या बंधक, गिरवी, ग्रहणाधिकार, हाइपोथिकेशन या अन्यथा के माध्यम से सुरक्षा का प्रभाव रखने वाले किसी भी दायित्व/प्रभार का निर्माण करना।

1.2 व्याख्या

1.2.1 बड़े अक्षरों से शुरू होने वाले और इस समझौते में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो यहाँ दिया गया है, और इस समझौते में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ जो यहाँ परिभाषित नहीं हैं, लेकिन आरएफक्यू, आरएफपी, रियायत समझौते या कंपनी अधिनियम में परिभाषित हैं, जैसी भी स्थिति हो, जब तक कि संदर्भ के प्रतिकूल न हो, उनका वही अर्थ होगा जो रियायत समझौते या कंपनी अधिनियम में दिया गया है।

1.2.2 खंडों के संदर्भ, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो, इस समझौते के खंडों के संदर्भ हैं।

1.2.3 रियायत समझौते के खंड 1.2, 1.3, और 1.4 में बताए गए व्याख्या के नियम, आवश्यक परिवर्तनों सहित (mutatis mutandis), इस समझौते पर लागू होंगे।

खंड 2: प्रभावी तिथि

खंड 2, 3, 7, 9 और 10 के प्रावधानों को छोड़कर, जो इसके निष्पादन के तुरंत बाद प्रभावी हो जाएंगे, इस समझौते के प्रावधान प्राधिकरण के संतोष के अनुसार निम्नलिखित कार्यों के पूरा होने पर प्रभावी होंगे (ऐसी तिथि प्रभावी तिथि होगी):

(i) रियायतग्राही ने इस समझौते की शर्तों को दर्शाने के लिए, जैसा भी आवश्यक हो, रियायतग्राही के चार्टर दस्तावेजों में संशोधन के लिए रियायतग्राही के शेयरधारकों की एक असाधारण सामान्य बैठक में विशेष प्रस्ताव द्वारा निर्णय लिया हो;

(ii) रियायतग्राही ने संबंधित कंपनी रजिस्ट्रार के पास उपरोक्तानुसार संशोधित चार्टर दस्तावेज दाखिल किए हों, और प्राधिकरण को उक्त कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा जारी रसीद प्रदान की हो जो उपरोक्तानुसार संशोधित चार्टर दस्तावेजों के दाखिल होने का प्रमाण प्रस्तुत करती हो; और

(iii) रियायतग्राही ने प्राधिकरण को ऐसे सभी प्रस्तावों और/या इस खंड में परिकल्पित कार्यों के निष्पादन का प्रमाण देने वाले किसी अन्य दस्तावेज की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि सौंपी हो और निजी प्रतिभागियों ने रियायतग्राही से इसे सौंपवाया हो।

खंड 3: पूंजी संरचना और गोल्डन शेयर का जारी किया जाना

3.1 प्राधिकरण को गोल्डन शेयर जारी करना

3.1.1 रियायतग्राही इसके द्वारा इस समझौते के निष्पादन के साथ ही, प्राधिकरण को ऐसे गोल्डन शेयर के अंकित मूल्य के बराबर के प्रतिफल (consideration) पर गोल्डन शेयर जारी करने और आवंटित करने का वचन देता है, और निजी प्रतिभागी इसके द्वारा प्राधिकरण को गोल्डन शेयर का प्रतिनिधित्व करने वाला शेयर प्रमाण पत्र सौंपने के लिए सहमत होते हैं।

3.1.2 रियायतग्राही गोल्डन शेयर जारी करने के संबंध में कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत आवश्यक सभी फाइलिंग करेगा और लागू कानूनों की अन्य सभी आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा।

3.1.3 पक्षकार सहमत हैं कि प्राधिकरण के मनोनीत निदेशक के पास कंपनी के निदेशक मंडल की बैठकों में, और प्राधिकरण के पास शेयरधारकों की आम बैठक में, आरक्षित मामलों (Reserved Matters) के संबंध में सकारात्मक वोट (affirmative vote) देने का अधिकार होगा। संदेह से बचने के लिए, इस समझौते के तहत प्राधिकरण के अधिकार उन अन्य अधिकारों के अतिरिक्त होंगे जो प्राधिकरण के पास रियायत समझौते या किसी अन्य परियोजना समझौते के तहत हो सकते हैं।

3.1.4 पक्षकार स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि जब तक इस समझौते के तहत अन्यथा प्रदान न किया गया हो, गोल्डन शेयर के पास लाभांश और अन्य सभी मामलों के संबंध में इक्विटी शेयरों के समान अधिकार और विशेषाधिकार होंगे।

3.2 हस्तांतरण प्रतिबंध

3.2.1 कोई भी शेयरधारक (प्राधिकरण को छोड़कर), इस समझौते के प्रावधानों के अधीन और लागू कानूनों के अनुपालन में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अपने सभी या किसी भी इक्विटी शेयर या इस समझौते के तहत अपने अधिकारों को किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित कर सकता है, बशर्ते कि (i) ऐसा हस्तांतरण रियायतग्राही द्वारा रियायत समझौते के उल्लंघन का कारण न बने; और (ii) ऐसा तीसरा पक्ष खरीदार इस समझौते के नियमों और शर्तों से बाध्य होने के लिए सहमत हो और वचन दे तथा अनुसूची III (Annex III) में संलग्न प्रारूप और तरीके से अनुपालन विलेख (**"Deed of Adherence"**) का निष्पादन करे।

3.2.2 इसके द्वारा स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया जाता है कि जहाँ निजी प्रतिभागी मुख्य रूप से रियायतग्राही में इक्विटी शेयर रखने के उद्देश्यों के लिए स्थापित एक विशेष प्रयोजन वाहन है (ऐसा निजी प्रतिभागी **"एसपीवी पीपी"** होने के नाते), ऐसे एसपीवी पीपी में किसी भी शेयरधारिता का हस्तांतरण इस समझौते के उद्देश्यों के लिए एसपीवी पीपी द्वारा इक्विटी शेयरों का अप्रत्यक्ष हस्तांतरण माना जाएगा और इस समझौते में निर्धारित शेयरों के हस्तांतरण पर प्रतिबंधों के अधीन होगा, जिसमें (i) किसी तीसरे पक्ष के हस्तांतरिती द्वारा अनुपालन विलेख (Deed of Adherence) के निष्पादन की आवश्यकता शामिल है।

3.2.3 पक्षकार स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि प्राधिकरण किसी भी समय गोल्डन शेयर को हस्तांतरित करने का हकदार नहीं होगा, सिवाय इसके कि जब प्राधिकरण की कोई उत्तराधिकारी संस्था रियायत समझौते के तहत प्राधिकरण के अधिकारों और दायित्वों को ग्रहण करती है।

खंड 4: रियायतग्राही का उद्देश्य और दायरा

4.1 रियायतग्राही का उद्देश्य और इस समझौते का दायरा

रियायतग्राही का उद्देश्य रियायत समझौते (Concession Agreement) में निहित प्रावधानों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए रियायतग्राही के दायित्वों का संचालन व निष्पादन करना और अधिकारों का प्रयोग करना है।

4.2 शेयरधारकों की प्रतिबद्धताएँ

4.2.1 प्रत्येक शेयरधारक इसके द्वारा अन्य प्रत्येक शेयरधारक और रियायतग्राही के साथ सहयोग करने तथा रियायतग्राही की सफलता को बढ़ावा देने के लिए अपनी क्षमता और अधिकार की सीमा तक उचित प्रयासों का उपयोग करने पर सहमति व्यक्त करता है। बशर्ते, हालांकि, पक्षकार इसके द्वारा स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं और सहमत होते हैं कि प्राधिकरण की जिम्मेदारियां और दायित्व केवल रियायत समझौते में स्पष्ट रूप से निर्धारित मामलों तक ही सीमित होंगे: इसके अलावा बशर्ते कि, इस खंड 4.2.1 में निहित किसी भी बात का अर्थ रियायत समझौते में स्पष्ट रूप से दिए गए प्रावधानों के अलावा प्राधिकरण पर कोई अन्य दायित्व डालने के रूप में नहीं लगाया जाएगा, और न ही इससे प्राधिकरण की किसी संयुक्त या पृथक देनदारी (joint and several liability) का आभास होगा।

4.2.2 प्रत्येक शेयरधारक इसके द्वारा अन्य शेयरधारकों के प्रति और रियायतग्राही के लाभ के लिए निम्नलिखित वचन देता है:

- **(क)** इस समझौते और चार्टर दस्तावेजों के सभी प्रावधानों का पालन और अनुपालन करना; और
- **(ख)** आरक्षित मामलों (Reserved Matters) के संबंध में प्राधिकरण के सकारात्मक वोट (affirmative vote) के अधिकार (जिसका प्रयोग प्राधिकरण के मनोनीत व्यक्ति के माध्यम से किया जा सकता है) के अधीन रहते हुए, और पूर्वगामी पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यह सुनिश्चित करना कि: **(i)** शेयरधारक के रूप में उसका प्रतिनिधित्व करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, और **(ii)** इस समझौते की शर्तों के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, शेयरधारकों या रियायतग्राही के बोर्ड की किसी भी बैठक में (जैसी भी स्थिति हो) अपने मतदान अधिकार का प्रयोग इस प्रकार करेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि रियायतग्राही के मामलों का संचालन रियायत समझौते के अनुसार हो और इस समझौते को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए आवश्यक या वांछनीय हर प्रस्ताव को मंजूरी मिले। इसी प्रकार, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव पारित न हो जो रियायत समझौते और/या इस समझौते के प्रावधानों के अनुरूप न हो; बशर्ते, हालांकि, इस समझौते के किसी भी प्रावधान द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित या अन्यथा परिकल्पित मामलों को छोड़कर, प्रत्येक शेयरधारक को अपने स्वामित्व वाले इक्विटी शेयरों पर मतदान करने या अपने द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति से रियायतग्राही के संचालन में कार्य करवाने का पूर्ण अधिकार होगा, जो केवल लागू कानूनों के अधीन होगा।

4.2.3 यदि खंड 5 के अनुसरण में किसी शेयरधारक द्वारा मनोनीत कोई निदेशक किसी भी कारण से इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार अपने विवेक का प्रयोग करने से इनकार

करता है, तो ऐसा शेयरधारक उस निदेशक को बदलने के लिए अपने अधिकार या नियंत्रण के भीतर तुरंत सभी आवश्यक कदम उठाएगा।

4.2.4 पक्षकार सहमत हैं कि चार्टर दस्तावेज, लागू कानूनों के तहत अनुमत सीमा तक, इस समझौते के प्रावधानों को शामिल करेंगे, जिसमें बिना किसी सीमा के प्राधिकरण का सकारात्मक वोट देने का अधिकार शामिल है। जिस सीमा तक चार्टर दस्तावेज इस समझौते के साथ असंगत हैं, शेयरधारक ऐसी किसी भी असंगति को दूर करने के लिए लागू कानून के तहत अनुमत सीमा तक चार्टर दस्तावेजों में संशोधन सुनिश्चित करने हेतु रियायतग्राही के शेयरधारकों के रूप में अपनी शक्ति का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा, पक्षकार यह भी सहमत हैं कि निजी प्रतिभागी रियायतग्राही के शेयरधारकों के रूप में अपने आपसी संबंधों को विनियमित करने के लिए आपस में कोई भी समझौता कर सकते हैं ("**निजी प्रतिभागी समझौता**"), बशर्ते कि ऐसे निजी प्रतिभागी समझौते के प्रावधान इस समझौते के प्रावधानों के विपरीत या असंगत न हों, या इस समझौते और/या रियायत समझौते के तहत प्राधिकरण के हितों के लिए किसी भी तरह से हानिकारक न हों और लागू कानूनों के तहत अनुमत हों। संदेह से बचने के लिए, पक्षकारों के बीच इसके द्वारा स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की जाती है कि निजी प्रतिभागी समझौते और इस समझौते के बीच संघर्ष या असंगति की स्थिति में, इस समझौते के प्रावधानों को प्राथमिकता दी जाएगी।

4.2.5 निजी प्रतिभागी इसके द्वारा परियोजना से संबंधित सभी दायित्वों और देनदारियों के लिए तब तक संयुक्त रूप से और पृथक रूप से उत्तरदायी होने का वचन देते हैं, जब तक कि रियायत समझौते के अनुसार परियोजना के लिए वित्तीय समापन (Financial Close) प्राप्त न हो जाए।

खंड 5: प्रबंधन और निदेशक मंडल

5.1 प्रबंधन

रियायतग्राही का प्रबंधन और शासन बोर्ड की समग्र देखरेख, निर्देशन और नियंत्रण के तहत किया जाएगा। बोर्ड के पास रियायतग्राही और परियोजना के विकास और प्रबंधन के संबंध में समग्र अधिकार होगा। रियायतग्राही के अधिकारियों के पास चार्टर दस्तावेजों और इस समझौते के अनुरूप, निदेशक मंडल द्वारा निर्दिष्ट अधिकार और जिम्मेदारियां होंगी।

5.2 बोर्ड का गठन

5.2.1 बोर्ड की संरचना निम्नानुसार निर्धारित की जाएगी:

(क) प्राधिकरण हर समय रियायतग्राही के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अपनी पसंद के व्यक्ति को मनोनीत करने का हकदार होगा, और ऐसे मनोनयन पर, रियायतग्राही लागू कानूनों के अनुसार ऐसे व्यक्ति को एक गैर-निवृत्त (non-retiring) निदेशक के रूप में नियुक्त करेगा; और

(ख) निजी प्रतिभागियों और प्राधिकरण के अलावा अन्य शेयरधारकों के पास शेष निदेशकों को मनोनीत करने का अधिकार होगा।

5.2.2 शेयरधारक इसके द्वारा समय-समय पर निदेशकों के रूप में प्राधिकरण और निजी प्रतिभागियों के मनोनीत व्यक्तियों की नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए रियायतग्राही में अपनी संबंधित शेयरधारिता का वोट देने के लिए स्वीकार करते हैं और सहमत होते हैं।

5.3 अध्यक्ष

पक्षकार इसके द्वारा वचन देते हैं और सहमत होते हैं कि निजी प्रतिभागियों के पास रियायतग्राही के अध्यक्ष को मनोनीत करने का अधिकार होगा, जिसे बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

5.4 प्रबंध निदेशक

5.4.1 निजी प्रतिभागी रियायतग्राही के प्रबंध निदेशक को भी मनोनीत करेंगे, जिन्हें बोर्ड के एक प्रस्ताव के बाद बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

5.4.2 प्रबंध निदेशक रियायतग्राही के दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन और परियोजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार होंगे। प्रबंध निदेशक बोर्ड की समग्र देखरेख, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

5.5 योग्यता

निदेशकों को रियायतग्राही में कोई योग्यता शेयर (qualification shares) रखने की आवश्यकता नहीं है।

5.6 त्यागपत्र और हटाया जाना

जहाँ किसी निदेशक को लागू कानूनों या चार्टर दस्तावेजों के तहत पद खाली करने की आवश्यकता होती है, उसे छोड़कर, किसी भी निदेशक को उसकी निर्वाचित अवधि के दौरान उस शेयरधारक की सहमति के बिना नहीं हटाया जाएगा जिसने बोर्ड में उसकी नियुक्ति की सिफारिश की थी। पूर्वगामी के होते हुए भी, एक शेयरधारक अपने द्वारा मनोनीत किसी भी निदेशक को किसी भी कारण से हटाने, बदलने या वापस बुलाने की मांग कर सकता है और ऐसा निदेशक हटाने, बदलने या वापस बुलाने के निर्देश से बाध्य होगा। यदि आवश्यक हो तो प्रत्येक शेयरधारक ऐसे हटाने को प्रभावी बनाने और उसके पक्ष में मतदान करने के लिए रियायतग्राही के शेयरधारकों की बैठक बुलाने में अन्य शेयरधारकों के साथ सहयोग करने पर सहमत होता है।

5.7 वैकल्पिक निदेशक (Alternate Director)

5.7.1 प्रबंध निदेशक के अलावा कोई अन्य निदेशक (**"मूल निदेशक"**), किसी भी समय और समय-समय पर, किसी भी व्यक्ति को मूल निदेशक के वैकल्पिक (**"वैकल्पिक निदेशक"**) के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करने (और शेयरधारक यह सुनिश्चित करेंगे कि बोर्ड ऐसे व्यक्ति को उसके वैकल्पिक के रूप में नियुक्त करे) तथा ऐसे वैकल्पिक निदेशक की नियुक्ति को समाप्त करने का निर्देश देने का हकदार होगा (और शेयरधारक यह सुनिश्चित करेंगे कि बोर्ड ऐसे वैकल्पिक निदेशक की नियुक्ति को समाप्त करे)।

5.7.2 वैकल्पिक निदेशक, उस पद पर बने रहने के दौरान, बोर्ड या उसकी किसी भी समिति की बैठकों के नोटिस प्राप्त करने का हकदार होगा जिसमें मूल निदेशक को नियुक्त किया गया है, और ऐसी किसी भी बैठक में निदेशक के रूप में उपस्थित होने और वोट देने का हकदार होगा जिसमें मूल निदेशक उपस्थित नहीं है और सामान्य रूप से मूल निदेशक की सभी शक्तियों, अधिकारों (खंड 5.7.1 में दिए अनुसार वैकल्पिक निदेशक नियुक्त करने के अधिकार को छोड़कर), कर्तव्यों और अधिकारों का प्रयोग करने तथा सभी कार्यों को करने का हकदार होगा। इसके अलावा, ऐसा वैकल्पिक निदेशक कोरम (गणपूर्ति) गठित करने के उद्देश्य से गिना जाने, वोट देने और बोर्ड या उसकी किसी समिति की किसी भी बैठक में मूल निदेशक की ओर से एक लिखित प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने का हकदार होगा और लागू कानूनों द्वारा अनुमत सीमा तक उसके हस्ताक्षर, वोट, उपस्थिति और सहमति को उसकी स्वयं की (जैसे कि वह अपने अधिकार में एक निदेशक है) और उस मूल निदेशक की माना जाएगा जिसके लिए वह एक वैकल्पिक निदेशक है।

5.8 रिक्ति

यदि किसी भी कारण से ऐसे किसी पद में कोई रिक्ति होती है या कोई निदेशक उस स्थान से लगातार 1 (एक) महीने की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है जहाँ बोर्ड की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं और उसके स्थान पर कोई वैकल्पिक निदेशक नियुक्त नहीं किया गया है, तो उस निदेशक को मनोनीत करने वाला शेयरधारक एक स्थानापन्न निदेशक को मनोनीत करने का हकदार होगा, और शेयरधारक ऐसे निदेशक को हटाने और ऐसे स्थानापन्न निदेशक के चुनाव के लिए सर्वसम्मति से अपने शेयरों का वोट देने के लिए सहमत होते हैं।

5.9 बोर्ड बैठक के संचालन का तरीका

बोर्ड की बैठकें भारत में ऐसे स्थानों पर हर तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जाएंगी जैसा कि बोर्ड निर्धारित करे और ऐसा कोई निर्धारण न होने पर गोवा राज्य में स्थित रियायतग्राही के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाएंगी। जब और यदि लागू कानूनों के तहत अनुमति हो, तो एक निदेशक टेलीफोन, ऑडियो और/या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य संचार सुविधाओं के माध्यम से बोर्ड की बैठक या बोर्ड की समिति/उप-समिति की बैठक में भाग ले सकता है, और इन माध्यमों से ऐसी बैठक में भाग लेने वाले निदेशक को इस समझौते के उद्देश्यों के लिए उस बैठक में उपस्थित माना जाएगा।

5.10 बैठक के लिए नोटिस और एजेंडा

5.10.1 जब तक कि सभी निदेशकों द्वारा नोटिस की आवश्यकता को समाप्त (waive) न कर दिया जाए, बोर्ड की बैठकों का कम से कम 14 (चौदह) दिनों का लिखित नोटिस (या ऐसा छोटा समय जैसा कि सभी निदेशक सहमत हों) सभी निदेशकों और उनके वैकल्पिक निदेशकों को दिया जाएगा। बोर्ड की बैठक के प्रत्येक नोटिस में, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रासंगिक बैठक में चर्चा किए जाने वाले मामलों का उचित विवरण देने वाला एक एजेंडा शामिल होगा और इसके साथ सभी आवश्यक लिखित जानकारी संलग्न होगी।

5.10.2 बोर्ड निदेशकों को नोटिस के साथ भेजे गए एजेंडे में निर्धारित व्यवसाय का ही निपटारा करेगा। बशर्ते हालांकि कि सभी निदेशकों की सर्वसम्मति से, जिसमें प्राधिकरण द्वारा मनोनीत निदेशक की उपस्थिति और उसके पक्ष में मतदान शामिल हो, बोर्ड उस व्यवसाय का निपटारा कर सकता है जो एजेंडे में निर्धारित नहीं है।

5.11 बोर्ड की बैठकों के लिए कोरम (गणपूर्ति)

5.11.1 यदि बोर्ड की बैठकों या उसके किसी स्थगन में किसी आरक्षित मामले पर विचार किया जाना है, तो कोरम में अनिवार्य रूप से प्राधिकरण द्वारा मनोनीत निदेशक शामिल होगा; और ऐसी बैठक में किसी भी आरक्षित मामले पर विचार नहीं किया जाएगा यदि प्राधिकरण द्वारा मनोनीत निदेशक ऐसी बैठक में उपस्थित नहीं है।

5.12 बोर्ड की समितियां

यदि बोर्ड किसी समिति या उप-समिति का गठन करना आवश्यक समझता है, तो बोर्ड ऐसी समिति या उप-समिति की शक्तियों (जिसमें उसका दायरा, समाप्ति, संशोधन और उसे वापस लेना शामिल है) का निर्धारण करेगा। समिति या उप-समिति बोर्ड के अधीन और उसकी देखरेख में होगी। इसमें निहित किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, प्राधिकरण के पास बोर्ड द्वारा गठित प्रत्येक समिति और उप-समिति में अपने मनोनीत व्यक्ति को मनोनीत करने का अधिकार होगा:

बशर्ते, हालांकि, कि ऐसी समिति और/या उप-समिति को कोई भी आरक्षित मामला नहीं सौंपा जाएगा।

5.13 निर्णय

5.13.1 कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, निदेशक मंडल का एक प्रस्ताव बैठक में उपस्थित निदेशकों के साधारण बहुमत के सकारात्मक वोट द्वारा अपनाया जाएगा जिसमें निदेशक मंडल का कोरम मौजूद हो। बशर्ते, हालांकि, कि रियायतग्राही के निदेशक मंडल की बैठक में पारित किए जाने वाले आरक्षित मामलों पर सभी प्रस्ताव प्राधिकरण द्वारा मनोनीत निदेशक के सकारात्मक वोट के अधीन होंगे और ऐसा कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं किया जाएगा यदि प्राधिकरण द्वारा मनोनीत ऐसा कोई निदेशक उपस्थित नहीं है और ऐसे प्रस्ताव के पक्ष में वोट नहीं दे रहा है।

5.13.2 रियायतग्राही या उसका कोई भी निदेशक, अधिकारी, एजेंट या प्रतिनिधि ऊपर खंड 5.13.1 में दिए गए तरीके से बोर्ड द्वारा पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी आरक्षित मामला नहीं उठाएगा और ऐसी पूर्व स्वीकृति के बिना रियायतग्राही या उसके किसी भी निदेशक, अधिकारी, एजेंट या प्रतिनिधि द्वारा किया गया कोई भी कार्य अमान्य (null and void) होगा।

5.14 सर्कुलेशन द्वारा प्रस्ताव

लागू कानूनों के अधीन और आरक्षित मामलों के अलावा अन्य मामलों के लिए, बोर्ड के प्रस्ताव सर्कुलेशन (परिपत्र) द्वारा पारित किए जा सकते हैं, यदि प्रस्ताव का मसौदा, यदि

कोई हो तो आवश्यक कागजात के साथ, भारत में या भारत से बाहर मौजूद सभी निदेशकों को प्रसारित किया गया है, और निदेशकों के बहुमत द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है। ऐसे प्रस्तावों पर निदेशकों द्वारा एकल दस्तावेज के रूप में या प्रतियों (counterparts) में हस्ताक्षर किए जा सकते हैं।

5.15 प्राधिकरण

जब तक कि बोर्ड द्वारा अन्यथा अधिकृत न किया गया हो, किसी भी निदेशक को रियायतग्राही को व्यक्तिगत रूप से बाध्य करने का अधिकार नहीं होगा।

5.16 निदेशकों की अयोग्यता

लागू कानूनों के अधीन, किसी निदेशक को किसी अन्य निकाय कॉर्पोरेट (body corporate) का अधिकारी, निदेशक या शेयरधारक होने के कारण सेवा करने के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा।

5.17 निरीक्षण और जानकारी

5.17.1 पक्षकारों के बीच इसके द्वारा सहमति व्यक्त की जाती है कि प्राधिकरण को रियायतग्राही द्वारा रखी जाने वाली पुस्तकों, अभिलेखों और खातों की जांच करने का अधिकार होगा और वह मासिक प्रबंधन खातों और परिचालन आंकड़ों तथा अन्य व्यावसायिक व वित्तीय जानकारी सहित सभी जानकारी प्राप्त करने का हकदार होगा।

5.17.2 खंड 5.17.1 की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रियायतग्राही प्राधिकरण को निम्नलिखित की प्रतियां प्रदान करेगा:

(क) रियायतग्राही के लेखापरीक्षित खाते (सभी प्रासंगिक कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन करते हुए); और

(ख) रियायतग्राही के प्रत्येक प्रमुख प्रभाग के मासिक/तिमाही प्रबंधन खाते; इनमें रियायतग्राही के प्रमुख प्रभागों के अनुसार विभाजित एक समेकित लाभ-हानि खाता, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट शामिल होगा, जिसमें प्रासंगिक व्यावसायिक योजना के मुकाबले प्रगति का विवरण, तिमाही राजस्व बजट से किसी भी भिन्नता का विवरण और प्रासंगिक लेखा वर्ष के शेष के लिए अद्यतन पूर्वानुमान तथा उस अवधि के दौरान रियायतग्राही के प्रत्येक प्रमुख प्रभाग द्वारा शुरू किए गए पूंजीगत कार्यक्रम के संबंध में सभी व्यय का मदवार विवरण शामिल होगा।

खंड 6: शेयरधारकों के अधिकार और दायित्व

6.1 सामान्य बैठक और शेयरधारकों के अनुमोदन की आवश्यकता वाले मामले

6.1.1 बोर्ड जब भी उचित समझे, रियायतग्राही की एक सामान्य बैठक (General Meeting) बुला सकता है। यदि कंपनी अधिनियम और चार्टर दस्तावेजों के प्रावधानों के

अनुसार रियायतग्राही के शेयरधारकों द्वारा मांग की जाती है, तो बोर्ड एक सामान्य बैठक बुलाने के लिए भी आगे बढ़ेगा।

6.1.2 इस समझौते और चार्टर दस्तावेजों में निहित किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, किसी आरक्षित मामले के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा और न ही कोई कार्रवाई की जाएगी, जो ऊपर खंड 3.1.3 में दिए अनुसार प्राधिकरण के सकारात्मक वोट अधिकारों के अधीन है, जब तक कि प्राधिकरण के अधिकृत प्रतिनिधि के सकारात्मक वोट द्वारा अनुमोदित न हो। पक्षकार विशेष रूप से सहमत हैं कि आरक्षित मामलों से संबंधित प्रस्ताव केवल शेयरधारकों की बैठक में ही पारित किया जाएगा, न कि सर्कुलेशन के माध्यम से।

6.1.3 शेयरधारकों की किसी भी बैठक या उसके किसी स्थगन के कोरम में अनिवार्य रूप से प्राधिकरण का एक प्रतिनिधि शामिल होगा यदि ऐसी बैठक में किसी आरक्षित मामले पर विचार किया जाना है; और ऐसी बैठक में किसी भी आरक्षित मामले पर विचार नहीं किया जाएगा यदि प्राधिकरण का प्रतिनिधि ऐसी बैठक में उपस्थित नहीं है।

6.1.4 उन बैठकों में निपटाए गए व्यवसाय के सभी आइटम या लिए गए निर्णय जहाँ कोरम इस प्रकार गठित नहीं है, अमान्य होंगे।

खंड 7: वचनबद्धताएं, प्रतिनिधित्व और वारंटी

7.1 प्रत्येक निजी प्रतिभागी इसके द्वारा प्राधिकरण, रियायतग्राही और अन्य निजी प्रतिभागियों के लाभ के लिए वारंटी देता है और प्रतिनिधित्व करता है कि:

(क) यह कानून के तहत विधिवत गठित और वैध रूप से विद्यमान है और इसके पास इस समझौते को निष्पादित करने और इसके नियमों, शर्तों और प्रावधानों को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक कानूनी शक्ति और अधिकार हैं;

(ख) निजी प्रतिभागी द्वारा इस समझौते का निष्पादन और डिलीवरी सभी आवश्यक कॉर्पोरेट और अन्य कार्रवाइयों द्वारा विधिवत अधिकृत की गई है और यह किसी भी अन्य समझौते या दस्तावेज के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करेगी या उसके तहत चूक का गठन नहीं करेगी जिसका वह एक पक्षकार है या जिससे वह बाध्य हो सकता है;

(ग) यह समझौता और इसके द्वारा परिकल्पित लेनदेन के संबंध में दर्ज किए गए और किए गए ऐसे सभी अन्य समझौते व लिखित दायित्व, जिनके लिए यह एक पक्षकार है, इसके निष्पादन और डिलीवरी के बाद ऐसे निजी प्रतिभागी के वैध और कानूनी रूप से बाध्यकारी दायित्वों का गठन करते हैं या करेंगे, जो इसके संबंधित नियमों के अनुसार इसके खिलाफ प्रवर्तनीय हैं;

(घ) यह दिवालिया नहीं है और इसके द्वारा या इसके खिलाफ कोई दिवाला कार्यवाही शुरू नहीं की गई है, न ही धमकी दी गई है या लंबित है;

(ङ) इसने सभी महत्वपूर्ण मामलों में लागू कानूनों का अनुपालन किया है और किसी भी जुर्माने, शास्ति, निषेधाज्ञा राहत या किसी अन्य नागरिक या आपराधिक देनदारियों के अधीन नहीं रहा है, जिसका कुल मिलाकर इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने की इसकी क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है या पड़ सकता है; और

(च) कानून में, इक्विटी में, या अन्यथा, चाहे नागरिक या आपराधिक प्रकृति के हों, किसी भी अदालत, आयोग, मध्यस्थ या सरकारी प्राधिकरण के समक्ष या उसके द्वारा इसके खिलाफ लिखित रूप में कोई कार्रवाई, मुकदमा, दावा, कार्यवाही या जांच लंबित नहीं है या निजी प्रतिभागियों के सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार धमकी नहीं दी गई है, और ऐसी अदालतों, आयोगों, मध्यस्थों या सरकारी अधिकारियों के कोई बकाया निर्णय, डिक्री या आदेश नहीं हैं, जो इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने की इसकी क्षमता को महत्वपूर्ण और प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हों।

7.2 प्रत्येक निजी प्रतिभागी और रियायतग्राही इसके द्वारा प्राधिकरण के लाभ के लिए अपरिवर्तनीय रूप से वचन देते हैं, वारंटी देते हैं और प्रतिनिधित्व करते हैं कि:

(क) इस समझौते और रियायत समझौते के तहत प्राधिकरण में निहित अधिकारों को निजी प्रतिभागियों या रियायतग्राही में से किसी के द्वारा किए गए या किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी भी कार्य द्वारा कम, समाप्त या किसी भी तरह से प्रभावित नहीं किया जाएगा; और

(ख) रियायतग्राही में इक्विटी का कोई भी विनिवेश यहाँ प्राधिकरण के अधिकारों को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेगा और रियायतग्राही के उत्तराधिकारी, समनुदेशिती और प्रतिस्थानी इस तरह के वचन से बाध्य होंगे।

7.3 प्राधिकरण इसके द्वारा रियायतग्राही और निजी प्रतिभागियों के लाभ के लिए वारंटी देता है और प्रतिनिधित्व करता है कि उसके पास इस समझौते को निष्पादित करने और इसके नियमों, शर्तों और प्रावधानों को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक कानूनी शक्ति और अधिकार हैं।

खंड 8: समाप्ति

8.1 समाप्ति

पक्षकार सहमत हैं कि यदि कोई शेयरधारक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रियायतग्राही के किसी भी इक्विटी शेयर को रखना बंद कर देता है, तो यह समझौता ऐसे शेयरधारक के संबंध में स्वतः समाप्त हो जाएगा। बशर्ते, हालांकि, गोपनीयता (खंड 9) और विवाद समाधान (खंड 10) से संबंधित इस समझौते के तहत ऐसे शेयरधारक के दायित्व और इस समझौते के ऐसे अन्य प्रावधान जो अपनी प्रकृति के अनुसार बने रहने के लिए हैं, इस समझौते की किसी भी समाप्ति के बाद भी बने रहेंगे।

8.2 कारणवश समाप्त करने का अधिकार

8.2.1 किसी शेयरधारक ("**चूक करने वाला पक्ष**") की ओर से इस समझौते के नियमों और शर्तों या यहाँ निर्धारित किसी भी वचन, प्रतिनिधित्व, वारंटी या समझौते के किसी महत्वपूर्ण उल्लंघन ("**महत्वपूर्ण उल्लंघन**") के घटित होने की स्थिति में, कोई भी अन्य शेयरधारक ("**गैर-चूककर्ता पक्ष**") चूक करने वाले पक्ष को कथित उल्लंघन का लिखित नोटिस ("**उल्लंघन नोटिस**") दे सकता है।

8.2.2 एक समाप्ति घटना ("**समाप्ति घटना**") घटित हुई मानी जाएगी यदि ऐसा महत्वपूर्ण उल्लंघन, यदि तर्कसंगत रूप से ठीक किए जाने योग्य है, उल्लंघन नोटिस की प्राप्ति के 30 (तीस) दिनों ("**उपचार अवधि**") के भीतर चूककर्ता पक्ष द्वारा ठीक नहीं किया जाता है, या यदि ऐसा महत्वपूर्ण उल्लंघन तर्कसंगत रूप से ठीक किए जाने योग्य नहीं है, तो उल्लंघन नोटिस जारी होने के तुरंत बाद।

8.2.3 किसी भी निजी प्रतिभागी की ओर से समाप्ति घटना घटित होने पर, प्राधिकरण अपने विवेक से, ऐसे निजी प्रतिभागी को उसके द्वारा धारित सभी (लेकिन उससे कम नहीं) इक्विटी शेयरों को इक्विटी शेयरों के बाजार मूल्य या उसके अंकित मूल्य के 25% (पच्चीस प्रतिशत) में से जो भी कम हो, पर प्राधिकरण को हस्तांतरित करने की आवश्यकता कर सकता है और ऐसे शेयरों का हस्तांतरण इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा नोटिस की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर रियायतग्राही के पंजीकृत कार्यालय में होगा।

खंड 9: गोपनीयता

9.1 पक्षकार इसके द्वारा स्वीकार करते हैं और सहमत होते हैं कि उनमें से प्रत्येक के पास ऐसी जानकारी है और बनी रहेगी जो उनके द्वारा बनाई गई, खोजी गई, विकसित की गई, या अन्यथा जानी गई और स्वामित्व में है, जिसका उस व्यवसाय में वाणिज्यिक मूल्य है जिसमें वे लगे हुए हैं या लग सकते हैं (पूर्वोक्त जानकारी को आगे "**स्वामित्व वाली जानकारी**" कहा गया है)। पक्षकार सहमत हैं कि इस समझौते की अवधि के दौरान और इसके समाप्त होने या समाप्ति के बाद, उनमें से प्रत्येक दूसरे पक्ष से प्राप्त सभी स्वामित्व वाली जानकारी को गोपनीयता और विश्वास में रखेगा, और वे दूसरे पक्ष (पक्षों) की लिखित सहमति के बिना ऐसी किसी भी स्वामित्व वाली जानकारी या सीधे उससे संबंधित किसी भी चीज़ का उपयोग या खुलासा नहीं करेंगे।

9.2 किसी भी कारण से इस समझौते के समाप्त होने या समाप्ति की स्थिति में, पक्षकार ऐसी स्वामित्व वाली जानकारी के मालिक के निर्देश पर तुरंत ऐसी जानकारी का उपयोग करना बंद कर देंगे, और उस पक्ष के स्वामित्व वाली जानकारी से संबंधित किसी भी प्रकृति के सभी दस्तावेजों और डेटा को नष्ट कर देंगे या मालिक को वापस कर देंगे, और किसी भी विवरण के दस्तावेज या डेटा या स्वामित्व वाली जानकारी से संबंधित किसी भी विवरण के प्रजनन (reproduction) को अपने पास नहीं रखेंगे और न ही किसी अन्य को देंगे।

9.3 हालाँकि, यह खंड उस जानकारी पर लागू नहीं होगा जो:

(क) किसी भी पक्ष की गलती के बिना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है या हो जाती है;

(ख) प्रकटीकरण से पहले गैर-गोपनीय आधार पर किसी भी पक्ष को ज्ञात थी;

(ग) स्वामित्व वाली जानकारी का उपयोग किए बिना किसी भी पक्ष द्वारा स्वतंत्र रूप से विकसित की जाती है;

(घ) ऐसी जानकारी के मालिक द्वारा किसी तीसरे पक्ष को यहाँ निहित समान प्रतिबंधों के बिना प्रकट की जाती है;

(ङ) ऋण के सेल-डाउन/ड्रॉडाउन को सक्षम करने के लिए या प्रस्तावित तीसरे पक्ष के हस्तांतरितियों को प्रकट की जाती है, बशर्ते कि प्राप्तकर्ता केवल उसी उद्देश्य के लिए जानकारी का उपयोग करने के लिए गोपनीयता वचन पत्र निष्पादित करे;

(च) लागू कानूनों की आवश्यकताओं का पालन करने के लिए प्रकट की जाती है, जिसमें रियायतग्राही या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इक्विटी शेयर रखने वाली किसी भी इकाई के स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग की कोई भी आवश्यकताएं शामिल हैं;

(छ) पक्षकारों के किसी भी सलाहकार (कानूनी, वित्तीय, तकनीकी या अन्यथा) को प्रकट की जाती है, बशर्ते कि प्राप्तकर्ता केवल प्रकट किए गए उद्देश्य के लिए जानकारी का उपयोग करने के लिए एक गोपनीयता वचन पत्र निष्पादित करे।

9.4 शेयरधारक एक-दूसरे और रियायतग्राही के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करने पर सहमत होते हैं कि रियायतग्राही के व्यवसाय के संबंध में प्रकट की गई और अन्यथा सामान्य रूप से उपलब्ध न होने वाली सभी जानकारी को गुप्त रखा जाएगा और उसे प्रकट नहीं किया जाएगा।

खंड 10: शासी कानून और क्षेत्राधिकार की सहमति; मध्यस्थता

10.1 यह समझौता और इसकी व्याख्या के सभी प्रश्न भारत के कानूनों के अनुसार समझे और व्याख्यायित किए जाएंगे। खंड 10.3 के अधीन रहते हुए, राज्य की अदालतों के पास इस समझौते पर विशेष क्षेत्राधिकार होगा।

10.2 पक्षकार सहमत हैं कि वे इस समझौते (इसकी व्याख्या सहित) के तहत या उससे उत्पन्न होने वाले या उससे संबंधित किसी भी मुद्दे, विवाद, अंतर या विवाद, चाहे वह किसी भी प्रकृति का हो, जिसे किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को लिखित रूप में सूचित किया गया है ("**विवाद**"), को सद्भावपूर्ण परामर्श के माध्यम से हल करने का प्रयास करेंगे, और ऐसा परामर्श किसी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को ऐसे परामर्श के लिए लिखित अनुरोध देने के तुरंत बाद शुरू होगा: बशर्ते कि यदि ऐसे सद्भावपूर्ण परामर्श शुरू होने के 60 (साठ) दिनों के भीतर विवाद का समाधान नहीं होता है, तो खंड 10.3 के प्रावधान लागू होंगे।

10.3 मध्यस्थता

10.3.1 इस समझौते से उत्पन्न या इसके संबंध में कोई भी विवाद, अंतर या दावा, जिसे सौहार्दपूर्ण ढंग से हल नहीं किया गया है, क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एकमात्र मध्यस्थ के संदर्भ द्वारा अंतिम रूप से तय किया जाएगा। ऐसी मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आयोजित की जाएगी।

10.3.2 मध्यस्थ एक तर्कसंगत निर्णय (reasoned award) जारी करेगा और ऐसा निर्णय पक्षकारों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता का स्थान राज्य की राजधानी होगी और मध्यस्थता की भाषा अंग्रेजी होगी।

10.3.3 इसके तहत किसी भी मध्यस्थता कार्यवाही में निर्णय लंबित रहने तक, यह समझौता और पक्षकारों के अधिकार व दायित्व पूर्ण रूप से लागू और प्रभावी रहेंगे।

खंड 11: विविध

11.1 सूचना (Notices)

इस समझौते के तहत दी जाने वाली या बनाई जाने वाली सभी सूचनाएं या अन्य संचार लिखित रूप में होंगे, या तो व्यक्तिगत रूप से दिए जाएंगे या कूरियर या पंजीकृत डाक द्वारा भेजे जाएंगे, जिसकी एक अतिरिक्त प्रति फैक्स या ई-मेल द्वारा भेजी जाएगी। प्रत्येक पक्ष का सेवा के लिए पता, उसका फैक्स नंबर और ई-मेल पता इसके हस्ताक्षर पृष्ठों पर उसके नाम के नीचे निर्धारित किया गया है। एक सूचना वास्तव में प्राप्त होने पर प्रभावी होगी, सिवाय इसके कि जहाँ यह किसी भी दिन शाम 5.30 (पांच बजकर तीस मिनट) बजे के बाद प्राप्त होती है, या किसी सार्वजनिक अवकाश के दिन प्राप्त होती है, तो नोटिस को वास्तविक प्राप्ति की तिथि के बाद वाले पहले कार्य दिवस पर प्राप्त माना जाएगा। पूर्वगामी पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, फैक्स या ई-मेल द्वारा नोटिस या संचार देने वाला या बनाने वाला पक्ष तुरंत उसकी एक प्रति व्यक्तिगत रूप से वितरित करेगा, या कूरियर या पंजीकृत डाक द्वारा ऐसे नोटिस या संचार के प्राप्तकर्ता को भेजेगा। इसके द्वारा सहमति व्यक्त की जाती है और स्वीकार किया जाता है कि कोई भी पक्ष नोटिस द्वारा उस पते को बदल सकता है जिस पर उसे ऐसे नोटिस और संचार वितरित या मेल किए जाने हैं। ऐसा परिवर्तन तब प्रभावी होगा जब सभी पक्षकारों को इसकी सूचना मिल जाएगी।

11.2 अपरिहार्य घटना (Force Majeure)

इस समझौते में निहित किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, पक्षकारों के बीच इसके द्वारा स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की जाती है कि अपरिहार्य घटना (फ़ोर्स मेज्योर) के कारण या उसके खाते में इस समझौते के तहत किसी भी पक्ष को कोई राहत प्रदान नहीं की जाएगी।

11.3 दायित्वों का विशिष्ट निष्पादन (Specific performance of obligations)

इस समझौते के पक्षकार सहमत हैं कि, लागू कानूनों के तहत अनुमत सीमा तक, इस समझौते के तहत पक्षकारों के अधिकार और दायित्व विशिष्ट निष्पादन के अधिकार के अधीन होंगे और एक चूककर्ता पक्ष के खिलाफ विशिष्ट रूप से लागू किए जा सकते हैं। पक्षकार स्वीकार करते हैं कि इस समझौते के प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन से प्रतिकूल रूप से प्रभावित पक्ष ("**प्रभावित पक्ष**") को तत्काल अपूरणीय क्षति होगी, जिसके लिए नुकसान के रूप में देय कोई भी मुआवजा एक पर्याप्त उपाय नहीं होगा। तदनुसार, पक्षकार सहमत हैं कि प्रभावित पक्ष किसी अन्य पक्ष द्वारा ऐसे किसी भी उल्लंघन या धमकी भरे उल्लंघन की स्थिति में सक्षम क्षेत्राधिकार की अदालत से तत्काल और स्थायी निषेधाज्ञा राहत, विशिष्ट

निष्पादन या किसी अन्य न्यायसंगत राहत का हकदार होगा। पक्षकार सहमत हैं और शर्त रखते हैं कि प्रभावित पक्ष (i) वास्तविक नुकसान साबित करने की आवश्यकता के बिना; या (ii) बॉन्ड या अन्य सुरक्षा पोस्ट किए बिना ऐसी निषेधाज्ञा राहत, विशिष्ट निष्पादन या अन्य न्यायसंगत राहत का हकदार होगा। इसमें निहित कुछ भी कानून में या इक्विटी में remedies के लिए प्रभावित पक्ष के अधिकार को सीमित नहीं करेगा, जिसमें चूककर्ता पक्ष से नुकसान की वसूली शामिल है, लेकिन यह सीमित नहीं है।

11.4 संपूर्ण समझौता

11.4.1 खंड 11.4.2 के प्रावधानों के अधीन, यह समझौता, इसके सभी अनुलग्नकों, अनुसूचियों, प्रदर्शों और संलग्नकों के साथ, इस समझौते के विषय के संबंध में पक्षकारों के बीच संपूर्ण समझौते और समझ का प्रतिनिधित्व करता है और पक्षकारों के बीच हुए किसी भी पूर्व समझौते या समझ, चाहे लिखित हो या मौखिक, को निरस्त और प्रतिस्थापित करता है।

11.4.2 इसमें निहित कुछ भी:

(क) रियायत समझौते के प्रावधानों को प्रभावित नहीं करेगा;

(ख) निजी प्रतिभागियों को रियायतग्राही में अपनी शेयरधारिता के संबंध में कोई अन्य आपसी व्यवस्था करने से नहीं रोकेगा, बशर्ते कि ऐसी कोई व्यवस्था इस समझौते के तहत या रियायत समझौते के तहत प्राधिकरण के अधिकारों को किसी भी तरह से प्रभावित न करे।

संदेह से बचने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि रियायत समझौते और इस समझौते के प्रावधानों के बीच संघर्ष की स्थिति में, रियायत समझौते के प्रावधान लागू होंगे।

11.5 संशोधन

इस समझौते के किसी भी प्रावधान में कोई भी संशोधन, बदलाव या परित्याग (waiver) तब और केवल तभी प्रभावी होगा जब वह लिखित रूप में हो और व्यक्तिगत रूप से या प्रत्येक पक्ष के एक अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित हो।

11.6 पृथक्करणीयता

यदि इस समझौते या इसके साथ संलग्न या इसका हिस्सा बनाए गए किसी समझौते या दस्तावेज का कोई लेख, खंड, अनुभाग या पैराग्राफ, या उसका हिस्सा, सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी न्यायालय द्वारा अमान्य, गैर-कानूनी या वर्तमान या भविष्य के लागू कानूनों के तहत अप्रवर्तनीय करार दिया जाता है, तो पक्षकारों का इरादा यह है कि शेष समझौता, या इसके साथ संलग्न कोई भी समझौता या दस्तावेज, उससे प्रभावित नहीं होगा जब तक कि ऐसे प्रावधान के विलोपन से यह समझौता किसी भी पक्ष के लिए महत्वपूर्ण रूप से प्रतिकूल न हो जाए, जिस स्थिति में पक्षकार समझौते में ऐसे परिवर्तनों के लिए सद्भावपूर्वक बातचीत करेंगे जो इस तरह के प्रावधान के तहत पक्षकारों के लाभ और दायित्वों को सर्वोत्तम रूप से सुरक्षित रखेंगे।

11.7 प्रतियां (Counterparts)

यह समझौता दो या दो से अधिक प्रतियों में निष्पादित किया जा सकता है, और प्रत्येक पक्ष द्वारा समान या अलग-अलग प्रतियों पर निष्पादित किया जा सकता है, लेकिन ऐसी सभी प्रतियां मिलकर एक ही दस्तावेज का गठन करेंगी।

11.8 छूट (Waiver)

इस समझौते के उल्लंघन या किसी अन्य पक्ष द्वारा चूक के संबंध में किसी पक्ष द्वारा कोई कार्रवाई करने में विफलता इस समझौते के किसी भी प्रावधान को लागू करने या ऐसे उल्लंघन या चूक या किसी बाद के उल्लंघन या चूक के संबंध में कार्रवाई करने के पूर्व पक्ष के अधिकार की छूट का गठन नहीं करेगी। किसी पक्ष द्वारा इस समझौते के किसी प्रावधान का अनुपालन करने में किसी उल्लंघन या विफलता की छूट को ऐसे प्रावधान की निरंतर छूट, या इस समझौते के किसी अन्य प्रावधान का अनुपालन करने में किसी अन्य उल्लंघन या विफलता की छूट के रूप में नहीं समझा जाएगा या गठित नहीं किया जाएगा।

11.9 कोई एजेंसी नहीं

यह समझौता किसी भी पक्ष को दूसरे पक्ष के कानूनी प्रतिनिधि या एजेंट के रूप में गठित नहीं करेगा, न ही किसी पक्ष के पास दूसरे पक्ष के खिलाफ, उसके नाम पर, या उसकी ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई देनदारी या दायित्व ग्रहण करने, बनाने या उत्पन्न करने का अधिकार या प्राधिकार होगा।

11.10 कोई तृतीय पक्ष लाभार्थी नहीं

इस समझौते में व्यक्त या उल्लेखित कुछ भी इसके पक्षकारों (और उनके संबंधित उत्तराधिकारियों और अनुमति प्राप्त समनुदेशितियों) के अलावा किसी भी इकाई को इस समझौते या इसमें निहित किसी भी प्रावधान के तहत या उसके संबंध में कोई कानूनी या न्यायसंगत अधिकार, उपाय या दावा देने के लिए अभिप्रेत नहीं है और न ही ऐसा समझा जाएगा।

11.11 एक-दूसरे के और रियायतग्राही के संबंध में पक्षकारों की स्वतंत्रता

पक्षकार स्वतंत्र हैं और रहेंगे। पक्षकारों में से किसी को भी दूसरे का एजेंट नहीं माना जाएगा, न ही उनके पास दूसरे या रियायतग्राही की ओर से कोई अनुबंध या दायित्व दर्ज करने, या कोई वारंटी या प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होगा।

11.12 निष्पक्ष संबंध (Arm's length)

एक ओर प्रत्येक पक्ष और दूसरी ओर रियायतग्राही के बीच सभी संबंध निष्पक्ष (arm's length) और प्रतिस्पर्धी शर्तों पर संचालित किए जाएंगे।

11.13 प्रभार/सम्बद्धता (Encumbrance)

पक्षकार सहमत हैं कि निजी प्रतिभागी वित्तपोषण समझौतों के तहत वरिष्ठ ऋणदाताओं (Senior Lenders) के पक्ष में या उनके लाभ के लिए और/या हवाईअड्डे के लिए कार्यशील पूंजी व्यवस्था (working capital arrangements) के अलावा रियायतग्राही में अपनी शेयरधारिता को प्रभारित/बंधक (Encumber) करने के हकदार नहीं होंगे।

11.14 परिणामी क्षति (Consequential Loss)

इस समझौते में निहित किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, किसी भी स्थिति में कोई भी पक्ष, उसके अधिकारी, कर्मचारी या एजेंट किसी भी अन्य पक्ष द्वारा झेली गई किसी भी परिणामी क्षति के संबंध में इस समझौते से उत्पन्न होने वाले या इसके संबंध में किसी भी मामले के लिए (अनुबंध, क्षतिपूर्ति, वारंटी या अपकृत्य के आधार पर, जिसमें लापरवाही और सख्त या पूर्ण देयता या वैधानिक कर्तव्य का उल्लंघन या अन्यथा शामिल है) उत्तरदायी नहीं होंगे। इस प्रावधान के उद्देश्यों के लिए, "**परिणामी क्षति**" का अर्थ ऐसे उल्लंघन के परिणामस्वरूप होने वाला कोई भी अप्रत्यक्ष या परिणामी नुकसान (लाभ की हानि, राजस्व की हानि, अनुबंध की हानि, सद्भावना/गुडविल की हानि, अन्य समझौतों के तहत देयता, या तीसरे पक्षों के प्रति देयता सहित) है और चाहे उल्लंघन करने वाले पक्ष को यह पता होना चाहिए था या नहीं कि इस तरह के उल्लंघन के परिणामस्वरूप इस तरह के अप्रत्यक्ष या परिणामी नुकसान की संभावना होगी और इसमें समय-समय पर पीड़ित पक्ष के ऋणदाताओं या लेनदारों को किसी भी राशि का भुगतान या पुनर्भुगतान (या उसका कोई त्वरण) शामिल है, लेकिन उत्तरदायी पक्ष, उसके अधिकारियों, कर्मचारियों या एजेंटों की लापरवाही के परिणामस्वरूप मृत्यु या व्यक्तिगत चोट शामिल नहीं है।

इसके साक्ष्य में, पक्षकारों ने ऊपर लिखी पहली तारीख को इस समझौते को निष्पादित और डिलीवर किया है।

रियायतग्राही की **सामान्य मुहर** (COMMON SEAL) निदेशक मंडल द्वारा 27 अक्टूबर 2016 को आयोजित अपनी बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसरण में प्राधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में यहाँ लगाई गई है, जिन्होंने इसके प्रमाण स्वरूप इस पर प्रति-हस्ताक्षर (countersigned) किए हैं।

पदनाम: मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO)

पता: सर्वे नं. 381/3, पहली मंजिल, मथुरा वन, एनएच-17, पोर्वरिम, गोवा - 403501

फैक्स नं: 011-47198998

ई-मेल पता: sheshan.rv@gmrgroup.in

निजी प्रतिभागी की ओर से और उनके लिए हस्ताक्षरित, मुहरबंद और डिलीवर किया गया:

हस्ताक्षर:

नाम: मधुकर दोदराजका

पदनाम: मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) - JV& CI

पता: न्यू उड़ान भवन, टर्मिनल 3 के सामने, आईजीआई एयरपोर्ट, नई दिल्ली 110037, दिल्ली

फैक्स नं: 011-47197791

ई-मेल पता: Madhukar.Dodrajka@gmrgroup.in

श्रीकांत भंडारकर

महाप्रबंधक

प्राधिकरण की ओर से और उनके लिए हस्ताक्षरित, मुहरबंद और डिलीवर किया गया:

हस्ताक्षर:

नाम: सुरेश शानभोग

पदनाम: निदेशक (DIRECTOR)

पता: नागर विमानन निदेशालय, सचिवालय, पोर्वरिम, गोवा

फैक्स नं: 0832-2419869

ई-मेल पता: dir-dca.goa@nic.in

साक्षी (Witnesses):

वेंकटेश डी. कामत

[हस्ताक्षर]

अनुलग्नक - I

निजी प्रतिभागी

निजी प्रतिभागियों के नाम दर्ज करें:

1. **जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड**

पंजीकृत कार्यालय: स्किप हाउस, 25/1, म्यूजियम रोड, बैंगलोर - 560025, कर्नाटक

अनुलग्नक - II

आरक्षित मामले

(क) मेमोरेन्डम के प्रावधानों में परिवर्तन या वृद्धि करना;

(ख) आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन या वृद्धि करना;

(ग) रियायतग्राही का नाम बदलना;

(घ) रियायतग्राही के स्वयं के शेयरों या निर्दिष्ट प्रतिभूतियों (securities) को पुनर्खरीद (buyback) करना;

(ङ) स्वेट इक्विटी शेयर जारी करना;

(च) गैर-सदस्यों को पूर्व-क्रयाधिकार (pre-emptive rights) के बिना आगे शेयर जारी करना या ऋणों या डिबेंचरों को शेयरों में परिवर्तित करना;

(छ) शेयर पूंजी को कम करना;

(ज) रियायतग्राही के पंजीकृत कार्यालय को उस राज्य की सीमाओं से बाहर ले जाना जहाँ वह स्थित है;

(झ) व्यवसाय की कोई नई लाइन शुरू करना;

(ञ) पंजीकृत कार्यालय जिस शहर, कस्बे या गांव में स्थित है, उसके अलावा किसी अन्य स्थान पर रजिस्टर और रिटर्न रखना;

(ट) किसी निदेशक या उसके रिश्तेदार या भागीदार या फर्म या निजी कंपनी को रियायतग्राही के प्रबंध निदेशक, प्रबंधक, बैंकर, या डिबेंचर-धारकों के ट्रस्टी के पद को छोड़कर, लाभ का पद (office or place of profit) धारण करने की सहमति देना;

(ठ) अंतर-कॉर्पोरेट ऋण (inter-corporate loans) देना और निवेश करना या गारंटी/सुरक्षा प्रदान करना आदि, यदि उनकी कुल राशि रियायतग्राही की चुकता शेयर पूंजी (paid-up share capital) के 10 प्रतिशत की सीमा से अधिक है;

(ड) रियायतग्राही के समापन (winding-up) के लिए अदालत में आवेदन करना;

(ढ) रियायतग्राही का स्वेच्छा से समापन करना;

(ण) रियायतग्राही के समापन से संबंधित विभिन्न अन्य मामलों के लिए; और

(त) ऐसा कोई भी अन्य मामला जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 या उसके किसी पुनः अधिनियमन या संशोधन द्वारा कंपनी के शेयरधारकों के विशेष प्रस्ताव (special resolution) द्वारा पारित किया जाना आवश्यक हो।

अनुलग्नक - III

अनुपालन विलेख

यह **अनुपालन विलेख** ("विलेख") आज दिनांक ..... माह ..... को भारत के कानूनों के तहत निगमित एक कंपनी/निकाय कॉर्पोरेट द्वारा निष्पादित किया जाता है, जिसका पंजीकृत कार्यालय ..... पर स्थित है (जिसे आगे "**अंतरिती/Transferee**" कहा गया है)।

जबकि

क. प्राधिकरण, ... और रियायतग्राही के बीच दिनांक ..... 20.. के एक शेयरधारक समझौते ("**शेयरधारक समझौता**") के अनुसार, शेयरधारक रियायतग्राही के शेयरधारकों के रूप में अपने अधिकारों और देनदारियों के आपसी वितरण / विनियमन पर सहमत हुए थे।

ख. शेयरधारक समझौते के खंड 3.2.1 (ii) के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ, किसी भी शेयरधारक ("**मूल कंपनी**") द्वारा किसी तीसरे पक्ष को इक्विटी पूंजी में शेयरों के हस्तांतरण के साथ-साथ, ऐसे तीसरे पक्ष को शेयरों के हस्तांतरण की एक पूर्व-शर्त के रूप में इस विलेख को निष्पादित करना होगा और शेयरधारक समझौते से बाध्य होना होगा।

अब यह विलेख निम्नानुसार साक्ष्य देता है:

1. परिभाषाएं और व्याख्या

इस विलेख में प्रयुक्त लेकिन परिभाषित नहीं किए गए पूंजीकृत शब्दों के वही अर्थ होंगे जो शेयरधारक समझौते में उन्हें दिए गए हैं, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो।

2. वचनबद्धताएं

अंतरिती इसके द्वारा स्वीकार करता है कि उसने शेयरधारक समझौते, रियायत समझौते और अन्य परियोजना समझौतों की एक प्रति प्राप्त की है, उन्हें पढ़ा है और समझा है, और वचन देता है, सहमत होता है और पुष्टि करता है कि वह शेयरधारक समझौते के सभी प्रावधानों से इस प्रकार बाध्य रहेगा मानो वह उसका मूल पक्षकार हो, जिसमें हस्तांतरणकर्ता पक्षकार के अधिकार और दायित्व भी शामिल हैं। शेयरधारक समझौता उस पर पूर्ण रूप से लागू और प्रभावी होगा और उसके लिए बाध्यकारी माना जाएगा।

3. **शासी कानून**

यह विलेख भारत के कानूनों के अनुसार प्रशासित और व्याख्यायित किया जाएगा। मध्यस्थता और अन्य नियमों व शर्तों के संबंध में शेयरधारक समझौते के नियमों और शर्तों को इस विलेख में शामिल माना जाएगा।

द्वारा

नाम और शीर्षकः

की उपस्थिति मेः

गवाह

1. **श्रीकांत भंडारकर**

महाप्रबंधक